क्रम-संख्या–229 (ड)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 नवम्बर, 2017
कार्तिक 18, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–5

संख्या 2281 / 79-5–2017-रिट–105-2014
लखनऊ, 9 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

सा0प0नि0–44

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिभाषायें (1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–	(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से है;	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से है.
(ख) "आंगनबाड़ी" का तात्पर्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र से है;	(ख) "आंगनबाड़ी" का तात्पर्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र से है;
(ग) "नियत दिनांक" का तात्पर्य अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल, 2010 से है;	(ग) "नियत दिनांक" का तात्पर्य अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल, 2010 से है;
(घ) "अध्याय","धारा" एवं "अनुसूची" का तात्पर्य क्रमशः अधिनियम के अध्याय, उसकी धारा एवं अनुसूची से है;	(घ) "अध्याय","धारा" एवं "अनुसूची" का तात्पर्य क्रमशः अधिनियम के अध्याय, उसकी धारा एवं अनुसूची से है;
(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र से है;	(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र से है;
(च) "पास–पड़ोस" का तात्पर्य नियम–4 में विनिर्दिष्ट आबादी क्षेत्र से है;	(च) "पास–पड़ोस" का तात्पर्य नियम–4 में विनिर्दिष्ट आबादी क्षेत्र से है;
(छ) "शिष्य संचयी अभिलेख" का तात्पर्य व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालकों की प्रगति के अभिलेख से है;	(छ) "शिष्य संचयी अभिलेख" का तात्पर्य व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालकों की प्रगति के अभिलेख से है;
(ज) "विद्यालय मानचित्रण" का तात्पर्य सामाजिक विभेदों और भौगोलिक दूरी को दूर करने लिये विद्यालय की अवस्थिति के नियोजन से है;	(ज) "विद्यालय मानचित्रण" का तात्पर्य सामाजिक विभेदों और भौगोलिक दूरी को दूर करने लिये विद्यालय की अवस्थिति के नियोजन से है;
(झ) "विनिर्दिष्ट प्रतिमान" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और मानकों से है;	(झ) "विनिर्दिष्ट प्रतिमान" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और मानकों से है;
(ञ) "जिला शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य यथा स्थिति बेसिक शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से है;	(ञ) "जिला शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य यथा स्थिति बेसिक शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ट) "शिक्षा मित्र" का तात्पर्य बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेशों के अनुसार चयनित एवं शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति से है।	
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित है।	(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित है।

नियम–4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम–4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेगें, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
पास–पड़ोस का क्षेत्र या सीमायें (धारा–6) 4–(1) पास–पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगी:–	4–(1) पास–पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगी:–
(क) कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 हैं;	(क) कक्षा एक से पॉच तक के बच्चों के सम्बन्ध में, ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है;
(ख) कक्षा–6 से 8 तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।	(ख) कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में, ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है;
	(ग) किसी ग्राम पंचायत या नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की किसी वार्ड के पास–पड़ोस में विद्यालय होगा, जहां बच्चे अपनी अधिकारिता के भीतर प्रवेश ले सकेंगे।

601_RPH_2017_Teacher_Data 4 Shiksha Folder

नया नियम–16 का निकाला जाना

5–उक्त नियमावली में, नया नियम–16–क निकाल दिया जायेगा।

नियम–23 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23(1)– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के एक माह के अन्दर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत किया जायेगा : परन्तु निजी संस्थाओं द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर आवंटित मान्यता पंजीकरण संख्या भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा उल्लिखित की जायेगी।	23(1)– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के एक माह के भीतर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत किया जायेगा : परन्तु निजी संस्थाओं द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर आवंटित मान्यता पंजीकरण संख्या भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा उल्लिखित की जायेगी। (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि बच्चों ने धारा–29 के अधीन विहित समस्त अध्ययन पाठ्यकम पूर्ण कर लिया है; (3) प्रमाण-पत्र में बच्चे का शिष्य संचयी अभिलेख अन्तर्विष्ट होगा और साथ ही विहित पाठयक्रम के अतिरिक्त बच्चे की क्रियाकलाप संबंधी क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियाँ विनिर्दिष्ट होंगी, जिनमें संगीत, नृत्य, साहित्य, क्रीड़ा आदि सम्मिलित होगे ; (4) शैक्षणिक प्राधिकारी, समस्त प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए, कक्षावार, विषयवार, शिक्षण संबंधी परिणाम तैयार करेगा ; (5) शैक्षणिक प्राधिकारी, परिनिश्चित शिक्षण सम्बन्धी परिणाम प्राप्त करने हेतु सतत् और समग्र मूल्यांकन करने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करेगा।

आज्ञा से

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clauses (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2281/LXXIX-5-2017, Dated November 9, 2017 :

No.2281/LXXIX-5-2017

Dated Lucknow, November 9, 2017

IN exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act no. 35 of 2009), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Right to Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.

THE UTTAR PRADESH RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (SECOND AMENDMENT) RULES, 2017

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule-2

2. In the Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, hereinafter referred to as the said rules, *for* the existing rule-2 set out in the Column-1 below the rule as set out in the Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN – 1 *Existing rule*	COLUMN – 2 *Rule as hereby substituted*
2.(1) In these rules, unless the context otherwise requires;	2.(1) In these rules, unless the context otherwise requires; (Definitions)
(a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;	(a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;
(b) "Anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Services Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;	(b)"Anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Services Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;
(c) "Appointed date " means the date of commencement of the Act *i.e.* April,1,2010;	(c) "Appointed date " means the date of commencement of the Act *i.e* April,1,2010;
(d) "Chapter ", "section " and "Schedule" means respectively Chapter, section of. and Schedule to, the Act;	(d) "Chapter", "section " and "Schedule" means respectively Chapter, section of. and Schedule to. the Act;
(e) "Form" means a form given in the Appendix to these rules;	(e) "Form" means a form given in the Appendix to these rules;
(f) "Neighbourhood" means a population area specified in rule 4;	(f) "Neighbourhood" means a population area specified in rule 4;
(g) "Pupil cumulative record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation :	(g) "Pupil cumulative record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation ;
(h) "School Mapping" means planning school location to overcome social barriers and geographical distance.	(h) "School Mapping" means planning school location to overcome social barriers and geographical distance ;

COLUMN – 1 *Existing rule*	COLUMN – 2 *Rule as hereby substituted*
(i) "Specify Norms" means the norms and standards specified schedule to the act ;	(i) "Specify Norms" means the norms and standards specified schedule to the act ;
(j) "Zila Shiksha Adhikari" means a District Level Officer in department of Basic Education or department of Secondary Education, as the case may be;	(j) "Zila Shiksha Adhikari" means a District Level Officer in department of Basic Education or department of Secondary Education, as the case may be.
(k) "Shiksha Mitra" means a person working as such in Junior Basic School run by Basic Shiksha Parishad selected in accordance with Government Orders prior to the commencement of these rules.	
(2) Words and expressions used in these rules not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions used in these rules not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Amendment of rule-4

3-In the said Rules, *for* rule-4 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :–

Areas or limits of neighbourhood (section-6)

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
4.(1)The areas or limits of neighbourhood within which a school has to be established by the Committee authorized by the State Government, shall be as under- (a) in respect of children in classes 1-V, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 1.0 km. and has population of at least 300; (b) in respect of children in classes 1-VIII, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 3.0 km. and has population of at least 800.	4.(1)The areas or limits of neighbourhood within which a school has to be established by the Committee authorized by the State Government, shall be as under- (a) in respect of children in classes 1-V, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 1.0 km. and has population of at least 300; (b) in respect of children in classes 1-VIII, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 3.0 km. and has population of at least 800; (c) a Gram Panchayat or a ward of a Nagar Nigam/ Nagar Palika/ Nagar Panchayat shall be the neighbourhood school where children can be admitted in within its jurisdiction.

Amendment of rule-7

4. In the said rules, in rule-7 *for* sub rule (3) set out in Column-1 below the sub rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:–

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
(3) The areas or limits of neighbourhood specified in rule-4(1) shall apply to admissions made in pursuance of clause (c) of section 12(1) :	(3) The areas or limits of neighbourhood specified in rule-4(1) (c) shall apply to admissions made in pursuance of clause (c) of sub-section-12(1) :

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
Provided that the school may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of section 12(1), extend these limits with the prior approval of the State Government.	Provided that the school may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of section 12(1), extend these limits with the prior approval of the State Government.

Omission of new rule 16-A

5- In the said new rule, rule 16-A shall be *omitted.*

Amendment of rule-23

6- In the said rules, *for* rule-23 set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
23(1)The certificate of completion of elementary education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education in the form prescribed by Director of Education (Basic):	23(1)The certificate of completion of elementary education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education in the form prescribed by Director of Education (Basic):
Provided that the private institution shall clearly mention the allotted recognition registration number on the certificate issued by them–	Provided that the private institution shall clearly mention the allotted recognition registration number on the certificate issued by them–
(1) The certificate referred to sub rule(1) shall certify that the child has completed all course of study prescribed under section 29;	
(2) The certificate shall contain the pupil cumulative record of the child and also specify achievements of the child in area of activities beyond the prescribed course of study and may include music, dance, literature, sports, etc.	(2) The certificate referred to sub-rule (1) shall certify that the child has completed all course of study prescribed under section 29;
	(3) The certificate shall contain the pupil cumulative record of the child and also specify achievements of the child in area of activities beyond the prescribed course of study and may include music, dance, literature, sports etc..
	(4) The academic authority shall prepare class-wise, subject-wise, learning outcome for all elementary classes;
	(5) The academic authority shall prepare guidelines for putting it into practice continuous and comprehensive evaluation, to achieve the defined learning outcomes.

By order

RAJ PRATAP SINGH,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 601 राजपत्र–(हिन्दी)–2017–(2113)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 शिक्षा–2017–(2114)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

601_FEH_2017_Tasneem_Data 4 Shiksha Folder